राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	151/2019 107/2019 396/18 **गोपाल बनाम केसरलाल** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भूरी देवी बनाम केसरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 151/2019, 107/2019 एवं 396/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 22/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
22/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट हस्तेड़ा में नियत किये जाने पर पक्षकारान द्वारा राजीनामा कैम्प में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2015 पारित करते हुये राजीनामे के अनुसार लोक अदालत की भावना से तहसीलदार चोमू को राजीनामे अनुसार पक्षकारो के मध्य बटवारा कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/07/2015 व संशोधित डिक्री दिनांक 15/12/2017 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2015 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक15/07/2015 व संशोधित डिक्री दिनांक 15/12/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 151/2019, 151/2019, 107/2019 एवं 396/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि तीनो अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	151/2019 गोपाल बनाम केसरलाल 107/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 396/2018 दुर्गा देवी बनाम केसरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि प्रतिवादी बंशीधर की मृत्यु उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो क़ानूनी प्रावधानों के तहत प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्तनीय प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की एवं राजीनामे के तथ्यों की अनदेखी कर एवं प्रकरण के तथ्यों का स ्चित अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये पारित किया जाना प्रकट होता है, जो भी कानूनन उचित प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्रीये न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत नही होता है तथा पक्षकारान का किया गया विभाजन भी विधिसम्मत जाहिर नही होता है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी पक्ष प्रतिवादी बंशीधर के विधिक वारिसान है, जिन्हें पक्षकार बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाहीये सम्पादित करते हुये अपीलाधीन ि .र्णय पारित किये है एवं चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहे है, ऐसेमें उन्हें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावी देरी प्रतीत होती है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य जाहिर होते है | अत: उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये निरस्त कर अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर सुनवाई का अवसर देते हुये पुन: विधिसम्मत पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये क्रमश: 12/06/2015, 15/07/2015 एवं 15/12/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रतिवादी बंशीधर के विधिक वारिसान/अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रकरण स ायोजित कर उन्हें भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये वाद में विधिक प्रक्रियाओ के अनुरूप कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्रीये पुन: पारित करे | तदनुसार अपीले क्रमश: 151/2019, 107/2019 एवं 396/2018 स्वीकार की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 22/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर